संचिका सं0–14/डी0एल0ए0 नीति (मुआवजा जमा)–एन0एच0–32/2016–1099/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
सभी सक्षम प्राधिकार (एन0 एच0 ए0 आई0)
–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकरी, बिहार।

निबंधित

पटना, दिनांक–01–10–2018

विषयः– राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0 एच0 ए0 आई0) की विभिन्न परियोजनाओं हेतु अर्जित/अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि सक्षम न्यायालय में जमा करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–1494/रा0, दिनांक–09.12.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ लिया जाय, जिसके द्वारा विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में एन0 एच0 एक्ट–1956 के अन्तर्गत प्रारंभ किये गये भू–अर्जन के मामलों में रैयतों द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में RFCTLARR Act 2013 की धारा–77(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत विवादित मुआवजा की राशि भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार (LARR Authority) के न्यायालय में जमा करने का निदेश दिया गया था।

2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक–28.12.2017 को निर्गत दिशानिर्देश की कंडिका–12(ii-iV) द्वारा एन0 एच0 एक्ट–1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत एन0 एच0 ए0 आई0 की विभिन्न परियोजनाओं में रैयतों द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किये जाने या मुआवजा भुगतान में विवाद होने की स्थिति में मुआवजा की राशि व्यवहार न्यायालय (Principal Civil Court) में जमा किये जाने का निदेश निर्गत किया गया है जो प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्गत निर्देश के प्रतिकूल होने के कारण इस संबंध में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया।

विधि विभाग एवं विद्वान महाधिवक्ता द्वारा परामर्श दिया गया है कि एन0 एच0 एक्ट–1956 के अन्तर्गत एन0 एच0 ए0 आई0 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत मुआवजा की राशि रैयतों द्वारा प्राप्त नहीं किये जाने या मुआवजा राशि के बटवारे से संबंधित विवाद से संबंधित मामलों में निर्णय हेतु व्यवहार न्यायालय (Principal Civil Court) ही सक्षम प्राधिकार है। (विधि विभाग से प्राप्त पराशर्म की छायाप्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एन0 एच0 ए0 आई0 तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न सड़क परियोजनाओं से संबंधित मुआवजा की राशि रैयतों द्वारा प्राप्त नहीं किये जाने या मुआवजा राशि के बटवारे से संबंधित विवाद की स्थिति में संबंधित मामलों को विचारण एवं निर्णय हेतु यवहार न्यायालय (Principal Civil Court) में संदर्भित किया जायेगा।

एन0 एच0 एक्ट 1956 के अन्तर्गत एन0 एच0 ए0 आई0 तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न सड़क परियोजनाओं से संबंधित वैसे मामलें जिन्हें प्रासंगिक पत्र के आलोक में भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार (LARR Authority) के न्यायालय में विचारण/निर्णय हेतु संदर्भित किया गया था, उन्हें एन0 एच0 एक्ट–1956 की धारा–3H(4) में वर्णित प्रावधानों एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–28.12.2017 से निर्गत दिशनिर्देश के आलोक में व्यवहार न्यायालय (Principal Civil Court) में स्थानान्तरित कराने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

एन0 एच0 एक्ट–1956 के उक्त प्रावधानों के तहत व्यवहार न्यायालय (Principal Civil Court) में संदर्भित मामलों में मुआवजा राशि को व्यवहार न्यायालय में जमा कराने एवं त्वरित गति से मामलों के निष्पादन हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश से भी विद्वान सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से अनुरोध किया जाय।

अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों से सभी संबंधित को अविलम्ब अवगत करा दी जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
1/10/18

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–1099/रा0, पटना, दिनांक–01-10-2018

निबंधित

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को विधि विभाग के उक्त परामर्श की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–1099/रा0, पटना, दिनांक–01-10-2018

निबंधित

प्रतिलिपिः–पीठासीन पदाधिकारी, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, सहरसा एवं पूर्णिया को विधि विभाग बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–1099/रा0, पटना, दिनांक–01-10-2018

निबंधित

प्रतिलिपिः–सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीन को विधि विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–1099/रा0, पटना, दिनांक–01-10-2018

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय पदाधिकारी (***RO***) एन0 एच0 ए0 आई0, पटना एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–1099/रा0, पटना, दिनांक–01-10-2018

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

Learned Advocate General, Bihar, U.O.O. No. 829 of 2018

The present file has been endorsed for opinion with regard to deposition of disputed amount in Principal Civil Court and for transfer of cases pending before L.A.R. authority to Principal Civil Court where land acquired under National Highway Act.

The National Highway Act was enacted by parliament in the year 1956. The said Act provide the procedure of acquisition of land for NH, determination of the amount of compensation, redressal of dispute etc as envisaged under section 3A to 3J. For the purpose of opinion on the given subject section 3G is important. When the land is acquired under the Act the competent authority is to determine the compensation amount as per sub section (7) of section 3G of the Act and if there is any dispute then the aggrieved party has to approach the Arbitrator appointed by the Central Government as per 3G (5) of the act and Arbitration Act will be applicable in the matter. If any person is aggrieved by the proceeding of arbitrator under section 3G (5) of the Act has to necessarily invoke the provision of section 34 of Arbitration act before Principal Civil Court, second type of dispute may arise with regard to apportionment of the amount between the parties in such circumstances under section 3H (4) competent authority shall have to refer the dispute to the decision of Principal Civil Court of original jurisdiction where land is situated.

In the other hand as per RFCTLARR Act 13 if there is any dispute regarding compensation amount Collector will refer the matter to LARR authority under section 64 of the Act and in case of dispute with regard

to apportionment the Collector will refer the matter to LARR authority under section 76 of the Act·RFCTLARRR Act 13 contained schedule I, II, III and IV. Earlier in Schedule 4 NH Act 1956 was not mentoned but after RFCTLARR (removal of difficulties) order 2015 came into existent NH act has been indorsed in Schedule 4.

Peruse the record and relevant documents and provision of NH Act, 1956 as well as Arbitration Act and RFCTLARR Act 13 and order 2015, I am of the opinion that incersion of NH Act in Schedule 4 of land acquisition Act is only for the purpose of determination of compensation amount but the procedure of acquisition and any dispute therein can be done under the NH Act. Thus cases can be transfer to principal court.

Opine accordingly.

Forwarded to L.R.

2019

Advocate General, Bihar
High Court, Patna

20.9.18

(Md. KHURSHID ALAM)
Addl. Advocate General No-12

25.9.18

अखिलेश कुमार सिंह

ब्रजेश मेहरोत्रा